



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2020

जयपुर, दिनांक : 26-03-2020

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25.12.2019 में चयनित प्रशिक्षु अधिकारियों को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से आधारभूत / संस्थानिक - व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर फील्ड अटैचमेंट पर श्री अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. को सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण) के पद पर धौलपुर जिले में फील्ड प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अमित कुमार चौधरी, आर.ए.एस. को सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण) के पद पर नागौर जिले में फील्ड प्रशिक्षण हेतु पदस्थापन किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 6 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 7 निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव / शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर :- कृपया निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार फील्ड अटैचमेंट प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा प्रशिक्षण प्रगति से इस विभाग को एवं हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को समय-समय पर सूचित करें।
- 10 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 11 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 12 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 13 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 14 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



संयुक्त शासन सचिव